13.20½ hrs.

PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Sir, I beg to move.

"That this House do further extend up to the first day of the second week of the next Monsoon Session (1975) the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Industrial Development Bank of India Act, 1961 the reserve Bank of India Act, 1934 the Industrial Finance Corporation Act 1948 the State Financial Corporation Act, 1951, the Life Insurance Corporation Act 1956 and the Unit Trust of India Act, 1963"

MR SPEAKER The question is

"That this House do further extend up to the first day of the second week of the next Monsoon Session (1975), the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Industrial Development Bank of India Act, 1964, the Reserve Bank of India Act, 1934, the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the State Financial Corporation Act, 1951, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Unit Trust of India Act, 1963"

The motion was adopted

13.21 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED CANCELLATION OF TRAINS DUE TO SHORTAGE OF COAL WITH RAILWAYS

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्रों मे एक बहुत ही गम्भीर समाचार हमारे सामने आया है कि भारतीय रेलवेज के पास केवल तीन दिनों के कोयले का स्टाक है और कोयले की कमी के कारण बहुत सी गाडियां रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले भी इस सदन मे बार-बार यह प्रश्न उठता रहा है। सरकार अपनी जवाबदेही से नही बच सकती है। कुछ ही दिनो पहले ऊर्जा मन्त्री ने एक बयान मे कहा था कि देश मे कोयले का प्राडक्शन बढ रहा है। रेलवेज की तरफ से भी जो बयान आते रहे हैं, उनमें कहा गया है कि रेलवे के पास कोयला है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, यह बताने के लिए मै आज के इण्डियन एक्सप्रेस से एक पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हू

"With the coal supply position in the country at a crisis level, the vast railway system now has reserves of coal stocks to last only three days"

मैं चाहूंगा कि ऊर्जा मन्त्री और रेल मन्त्री दोनो सदन के सामने वक्तव्य दें और ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कम से कम पन्द्रह दिनो का स्टाक रेलवेज के पास बराबर रहे, और कोयले की कमी के कारण कोई भी रेलगाडी माल गाडी, पैसेंजर गाडी या कोई अन्य गाडी-रद्द नही होनी चाहिए। देश में कोयले की कमी नही है। हमारे यहां कोयले का अक्षुण्ण भंडार है। इस सम्बन्ध में अगर सबसे बडी कोई बात है, तो वह यह है कि यह हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यर है। जिन लोगों के कारण इस तरह की कमी होती है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि रेल मन्त्री और ऊर्जा मन्त्री दोनों इस सम्बन्ध में सदन के सामने वक्तव्य रखें।